

परिपत्र संख्या- 691

**विषय: निर्यात प्राप्ति (फैक्टर का जोखिम) बीमा कवर विदेशी मुद्रा में प्रारम्भ  
(ईआरआईसी-एफसी)**

**(UIN-ECGCII0003CP0003V01202324)**

1. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) गिफ्ट सिटी में स्थित फैक्टरिंग कंपनियों ने फैक्टर्ड निर्यात प्राप्तियों के संबंध में क्रेडिट बीमा कवर जारी करने हेतु ईसीजीसी के आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) से संपर्क किया है ताकि उन्हें खरीदार द्वारा चूक से तथा राजनीतिक जोखिम से रक्षा प्राप्त हो सके।
2. इसलिए, 07/07/2023 को आयोजित उत्पाद प्रबंधन समिति (पीएमसी) की 35वीं बैठक में आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में स्थित फैक्टरिंग कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यात प्राप्ति (फैक्टर का जोखिम) बीमा कवर (ईआरआईसी-एफसी) शुरू करने का निर्णय लिया गया है।।
3. इस पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं और परिचालन दिशानिर्देश इस प्रकार हैं:-
  - (i) **पात्रता:** फैक्टरिंग कंपनियों के पास निर्यात फैक्टरिंग व्यवसाय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) से पंजीकरण का आवश्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह कवर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) क्षेत्र सहित सभी श्रेणियों के निर्माता निर्यातकों के खाते में उनके द्वारा फैक्टर किए गए बिलों के संबंध में कवर दिया जाएगा।
  - (ii) **रक्षा की करेंसी:** पॉलिसी की मुद्रा केवल यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर (यूएसडी) होगी।
  - (iii) **रक्षा की अवधि:** ईआरआईसी- एफसी कवर सौंपे गए निर्यातक-खरीदार (देनदार) संयोजन के लिए संपूर्ण टर्नओवर के आधार पर जारी किया जाएगा और एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। कवर प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख या प्रीमियम प्राप्ति की तारीख, जो भी बाद में हो, से जारी किया जाएगा और नवीनीकरण पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर होगा।

Page 1 of 4

- (iv) **रक्षा का प्रतिशत:** रक्षा का प्रतिशत 90% होगा।
- (v) **शामिल देश:** A1, A2, B1 और B2 श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले देश।
- (vi) **जोखिम रक्षा:**
- क. वाणिज्यक जोखिम - दिवालियापन तथा आस्थगित चूक की स्थिति में, खरीदार द्वारा माल की सुपुर्दगी होने और/या उसके द्वारा माल के भुगतान की स्वीकृति पर, खुले खाते आधार/स्वीकृत आधार पर अधिकतम 270 दिनों की मियादी अवधि वाले देय बिलों पर ही लागू होगी।
  - ख. राजनीतिक जोखिम
- (vii) **जोखिम अपवर्जित**
- क. अस्वीकृति के जोखिम अर्थात् क्रेता द्वारा माल को अस्वीकार करना।
  - ख. लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) के तहत अहरित बिल, अनुषंगी/सहयोगी संस्था पर अहरित बिल, कंसाइनमेंट बिक्री, व्यापारिक व्यापार, डीम्ड एक्सपोर्ट, एजेंट की चूक, व्यापार विवाद, वाणिज्यिक -प्रतिदावा।
  - ग. क्रेता विशिष्ट अनुमोदन सूची (बीएसएएल) में खरीदार, (एक्सपोज़र मॉनिटरिंग के लिए बीएसएएल पर सूचीबद्ध लोगों को छोड़कर)।
  - घ. प्रतिबंधित कवर श्रेणी (आरसीसी) और/या C1, C2 या D वाले देश।
  - ङ. निर्यातक विशिष्ट अनुमोदन सूची (एसएएल) और/या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की सावधानी सूची में हैं।
- (viii) **वस्तुए अपवर्जित:** रत्न, आभूषण और हीरे (जीजेडी), ग्रेनाइट, लौह-अयस्क, सॉफ्टवेयर निर्यात और व्यापारित 'कमोडिटीज' अर्थात् सोना, चांदी, कच्चा तेल, गेहूं, पाम तेल, कपास, रबर, चीनी जो MCX/NCDEX एक्सचेंज पर खरीदे और बेचे जाते हैं (हालाँकि, अन्य व्यापारिक 'वस्तुओं' और उनके डेरिवेटिव के संबंध में निर्माता निर्यातक के लिए कवर पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जा सकता है)।
- (ix) **बीमाकृत हानि (साख सीमा):** जोकि खरीदार की साख के मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदित की गई हो। किसी भी खरीदार पर देयता उस राशि से अधिक नहीं होगी जो कि कुल हानि पर बीमित प्रतिशत लागू करने के उपरांत प्राप्त होती है और इसके अतिरिक्त यह बीमाकृत हानि (साख सीमा) तक ही सीमित होगी।

- (x) **प्रोसेसिंग शुल्क:** 40 डॉलर प्रति प्रस्ताव (निर्यातक-देनदार संयोजन) जिसमें जीएसटी शामिल है, और यह वापसी योग्य नहीं है।
- (xi) **प्रीमियम / न्यूनतम प्रीमियम:** मासिक आधार पर फैक्टरड राशि के उपर प्रीमियम देय होगा, जो की अनुमोदित निर्यातक-खरीदार पर आहरित सभी बिलों पर लागू होगा। न्यूनतम प्रीमियम की गणना लागू प्रीमियम दरों के आधार पर निर्यातक-खरीदार संयोजन के तहत सभी प्राप्तियों की अनुमानित राशि पर की जाएगी। यह भुगतान अग्रिम है और वापसी योग्य नहीं है। साथ ही, यदि प्रीमियम अनुमानित प्रीमियम से अधिक होगा तो प्रीमियम अग्रिम रूप से देय होगा।

**(xii) प्रीमियम दरें:**

देश की रेटिंग	प्रीमियम दर %		
	DA/OD 1-90 दिन	DA/OD 91-180 दिन	DA/OD 181-270 दिन
A1	0.30	0.44	0.88
A2	0.42	0.65	1.26
B1	0.58	0.92	1.43
B2	0.63	0.98	1.61

**(xiii) महत्वपूर्ण शर्तें:**


- क. माह की घोषणा अगले महीने की 10 तारीख तक जमा की जानी है, जिसमें एक निर्धारित प्रारूप में बिल हैंडलड / फैक्टरड, प्राप्त किए गए / वसूल किए गए और अतिदेय बिलों का विवरण शामिल होगा।
- ख. एक बार खरीदार को ईसीजीसी द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो यह सुनिश्चित करना बीमाधारक का कर्तव्य है कि निर्यातक अनुमोदित देनदार पर सभी बिल उनके माध्यम से भेज रहा है, न कि किसी अन्य बैंक/संस्था/फैक्टर के माध्यम से। इसके अलावा, बीमाधारक उक्त खरीदार पर कवर की अवधि के दौरान इम्पोर्ट फैक्टर (बीमा हेतु) के लिए नहीं जाएंगे। हालाँकि, ईसीजीसी खरीदार पर स्वीकृत सीमा को रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

- ग. रक्षा के तहत दावे नियत तारीख से 120 दिनों के बाद दायर किए जाने चाहिए, लेकिन नियत तारीख से एक वर्ष के बाद दाखिल नहीं किए जाने चाहिए। दावा सशर्त होगा और यह दस्तावेजों के सत्यापन और 'निर्विवादित ऋण' की स्थापना के अधीन होगा।
- घ. रक्षा के तहत दावे के निपटान पर, मामले की परिस्थितियों के आधार पर वसूली का अधिकार लिया जाएगा। ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने से पहले पैनल में शामिल Debt Collecting Agents (DCA) से परामर्श किया जा सकता है।
- ङ. किसी भी प्रकार की छूट (बोनस-मालूस सहित) ईआरआईसी-एफसी कवर के लिए लागू नहीं होगी। कवर के अंतर्गत एजेंसी कमीशन-ब्रोकरेज भी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि बीमा का अनुबंध दो संस्थानों के बीच है।

4. इसके साथ परिचालन मैनुअल और निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं:

- क. प्रस्ताव फॉर्म
- ख. कवर पत्र
- ग. अनुसूची
- घ. पॉलिसी बॉन्ड
- ङ. मासिक घोषणा फॉर्म
- च. अतिदेय घोषणा फॉर्म
- छ. दावा फॉर्म

5. जारी/नवीनीकरण/वृद्धि के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी) प्रधान कार्यालय हामीदारी समिति (एचयूसी) में होगा और दावे प्रधान कार्यालय दावा समिति (एचसीसी) में निहित होगा।



(अभिषेक जैन)

महाप्रबंधक

संलग्न: उपरोक्तानुसार